कार्यालय जिला पंचायत–सरगुजा (छत्तीसगढ़)
(जिला स्वच्छ भारत मिशन,ग्रामीण)

क्रमांक/9503/एस.बी.एम.जी./जि0पं0/2019 अम्बिकापुर, दिनांक 25/1/2019

प्रति,

जिला सूचना विज्ञान अधिकारी
जिला सरगुजा अम्बिकापुर (छ.ग.)

विषयः– **स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत विकासखण्ड स्तर पर संविदा में स्वीकृत पदों का विज्ञापन अपलोड करने बावत्।**

संदर्भः– **संयुक्त सचिव, छ0ग0 शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर का पत्र क्र. 2170/पंग्राविवि/2018, रायपुर दिनांक 04.06.2018।**

––00––

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत् विकासखण्ड स्तर पर संविदा में स्वीकृत पदों का विज्ञापन www.surguja.nic.in में अपलोड कर, इस कार्यालय को अवगत करावें।

संलग्नः– विज्ञापन की सॉफ्ट एवं हार्ड कापी।

25/1

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं सदस्य सचिव
जिला स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)
सरगुजा

पृ.क्रमांक 9504/एस.बी.एम.जी./जि.पं./2019 अम्बिकापुर, दिनांक 25/1/2019

प्रतिलिपिः–

1. कलेक्टर एवं अध्यक्ष, जिला स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) प्रबंधन समिति जिला–सरगुजा की ओर सादर सूचनार्थ।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं सदस्य सचिव
जिला स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)
सरगुजा

कार्यालय, जिला पंचायत–(सरगुजा) छत्तीसगढ़

(जिला स्वच्छ भारत मिशन,ग्रामीण)

दूरभाष–07774220679.,e-mail: zp-surguja.cg@nic.in

:: विज्ञापन ::

क्रमांक / 9487 / एस.बी.एम.जी. / जि0पं0 / 2019 अम्बिकापुर, दिनांक 25 / 01 / 2019

संयुक्त सचिव, छ0ग0 शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर का आदेश क्र. 2170 / पंग्राविवि / 2018, रायपुर, दिनांक 04.06.2018 द्वारा खण्ड समन्वयक व संकुल समन्वयक के रिक्त पदों की पुर्ति किया जाना है।

जिला स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत सहायक गतिविधियों के क्रियांवयन / संचालन हेतु संविदा आधार पर निम्नानुसार पदो के लिए आवेदन आमंत्रित किये जाते है। इच्छुक आवेदक इस विज्ञापन के साथ प्रकाशित निर्धारित आवेदन प्रारूप परिशिष्ट–1 में अपना आवेदन दिनांक 07.02.2019 सायं 5 बजे तक बंद लिफाफे में (पंजीकृत / स्पीड पोस्ट) डाक के माध्यम से कार्यालय, जिला पंचायत–सरगुजा को प्रस्तुत कर सकते हैं। पदों से संबंधित विवरण निम्नानुसार है–

क्र.	पदनाम	शैक्षणिक योग्यता	अनिवार्य अनुभव	प्रतिमाह एक मुश्त मानदेय (रूपयों मे)	पदों की संख्या	दायित्व (संक्षिप्त में)
1	2	3	4	5	6	7
1	खण्ड समन्वयक	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से प्रबंधन / सामाजिक कार्य / सामाजिक विज्ञान / कला / समाज शास्त्र / मानव संसांधन / ग्रामीण प्रबंधन से स्नातक या स्नातकोत्तर की डिग्री ।	शासकीय / गैर शासकीय संस्था अंतर्गत ग्रामीण विकास के क्षेत्र में कार्य करने की 03 वर्ष का अनिवार्य अनुभव जिसमें स्वच्छता / स्वास्थ्य विषय पर 02 वर्ष का अनिवार्य अनुभव (संबंधित विभाग प्रमुख द्वारा हस्ताक्षरित अनुभव प्रमाण पत्र)।	10000 / –	07	जिला स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत क्रियान्वित कार्यों / गतिविधियों का खंड स्तर में आयोजन सह क्रियान्वयन। प्रशिक्षण एवं बैठकों में जिला समन्वयक / मुख्य कार्य. अधिकारी, जनपद पंचायत / खण्ड स्वच्छता अधिकारी को सहयोग प्रदान करना। ओ.डी.एफ.स्थायित्व व प्रचार –प्रसार कार्यक्रमों का आयोजन / क्रियान्वयन। एस.बी.एम.जी. के संबंधित विभागों से समन्वय कर मिशन के कार्यो को सुगम एवं सहज करना। मुख्य कार्य. अधिकारी / खण्ड स्वच्छता अधिकारी जनपद पंचायत से समन्वय करते हुए कार्य का संपादन तथा वरिष्ठ अधिकारियों को नियमित रिपोर्टिंग व समय–समय पर सौंपे गये अन्य कार्यालयीन कार्य।
2	संकुल समन्वयक	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से प्रबंधन / सामाजिक कार्य / सामाजिक विज्ञान / कला / समाज शास्त्र / मानव संसांधन / ग्रामीण प्रबंधन से स्नातक या स्नातकोत्तर की डिग्री ।	शासकीय / गैर शासकीय संस्था अंतर्गत ग्रामीण विकास के क्षेत्र में कार्य करने की 02 वर्ष का अनिवार्य अनुभव जिसमें स्वच्छता / स्वास्थ्य विषय पर 01 वर्ष का अनिवार्य अनुभव (संबंधित विभाग प्रमुख द्वारा हस्ताक्षरित अनुभव प्रमाण पत्र)।	8000 / –	07	जिला स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत क्रियान्वित कार्यो / गतिविधियों का आयोजन समुदाय आधारित सम्पूर्ण स्वच्छता प्रविधि का आयोजन सह क्रियान्वयन। प्रशिक्षण एवं बैठकों में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत / प्रभारी अधिकारी / जिला समन्वयक को सहयोग प्रदान करना। ओ.डी.एफ. स्थायित्व व प्रचार –प्रसार कार्यक्रमों का आयोजन / क्रियान्वयन। एस.बी.एम.जी. के संबंधित विभागों से समन्वय कर मिशन के कार्यो को सुगम एवं सहज करना। एम.आई.एस. का नियमित अपडेसन व ऑनलाईन करना। मुख्य कार्य. अधिकारी / खण्ड स्वच्छता अधिकारी जनपद पंचायत से समन्वय करते हुए कार्य का संपादन तथा वरिष्ठ अधिकारियों को नियमित रिपोर्टिंग व समय–समय पर सौंपे गये अन्य कार्यालयीन कार्य।

खण्ड समन्वयक/संकुल समन्वयक की भर्ती हेतु नियम, शर्ते एवं चयन प्रक्रिया –

1. प्रत्येक पद के लिए आयु सीमा न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष होगी।
2. भर्ती प्रक्रिया में छ0ग0 शासन द्वारा जारी आरक्षण नियम लागू होंगें।
3. खण्ड समन्वयक एवं संकुल समन्वयक हेतु आरक्षण रोस्टर निम्नानुसार है:–

अ.जा.		अ.ज.जा.		अ.पि.व.		अनारक्षित		पद (खण्ड समन्वयक)		
मुक्त	महिला	मुक्त	महिला	मुक्त	महिला	मुक्त	महिला	मुक्त	महिला	कुल
0	0	3	1	1	0	2	0	6	1	7
अ.जा.		अ.ज.जा.		अ.पि.व.		अनारक्षित		पद (संकुल समन्वयक)		
मुक्त	महिला	मुक्त	महिला	मुक्त	महिला	मुक्त	महिला	मुक्त	महिला	कुल
0	0	3	1	1	0	2	0	6	1	7

4. प्राप्त आवेदनों की एकसमान व पारदर्शिता पूर्ण आधार पर शासन द्वारा निर्धारित मापदण्ड अनुसार छटनी, प्रारंभिक चयन सूची का प्रकाशन, दावा आपत्ति का आमंत्रण एवं निराकरण, योग्य अंतिम चयनित आवेदकों के सूची का प्रकाशन एवं नियुक्ति आदेश का जारी किया जाना आदि प्रक्रिया जिला स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) द्वारा की जावेगी।
5. आवेदक, निर्धारित आवेदन पत्र प्रारूप (परिशिष्ट–1) में प्रत्येक पद हेतु अलग–अलग आवेदन प्रस्तुत करेगा। आवेदन पत्र निर्धारित अंतिम तिथि को सांयकाल 05 बजे तक, बंद लिफाफे में, (पंजीकृत/स्पीड पोस्ट) डाक के माध्यम से जिला स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) जिला पंचायत–सरगुजा को प्राप्त हो जाने चाहिए।
6. विशेष क्षेत्र के तहत् सरगुजा संभाग के स्थानीय उम्मीद्वारों को उक्त भर्ती प्रक्रिया में प्राथमिकता प्रदान किया जावेगा। संभाग से निर्धारित शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव के अनुसार उम्मीदवार नहीं मिलने की स्थिति में दूसरे जिलों के अभ्यर्थीयो को भर्ती प्रक्रिया में शामिल किया जावेगा।

चयन प्रक्रिया में मेरिट निर्धारण की पद्धति निम्नानुसार होगी :–

चयन प्रक्रिया स्थानीय आवेदकों को प्राथमिकता प्रदान करते हुए दस्तावेजी योग्यताओं, समूह चर्चा, एवं साक्षात्कार आधारित ऑकलन द्वारा अंक का निर्धारण किया जावेगा।

दस्तावेजी योग्यताओं यथा शैक्षणिक योग्यता, कम्प्यूटर योग्यता तथा अनुभव आदि के प्रस्तुत अभिप्रमाणित प्रमाण पत्रों के आधार पर ऑकलन/अंक निर्धारण की पद्धति –

i. 10वीं– हाई स्कूल में प्राप्त प्राप्तांक का – **20 प्रतिशत अंक**
ii. 12वीं– हायर सेकेण्डरी में प्राप्त प्राप्तांक का – **20 प्रतिशत अंक**
iii. स्नातक –स्नातक स्तर पर प्राप्त प्राप्तांक का – **30 प्रतिशत अंक**
iv. स्नात्कोत्तर –स्नात्कोत्तर (केवल संबंधित क्षेत्र में) स्तर पर प्राप्त प्राप्तांक का – **30 प्रतिशत अंक**
v. अनुभव – प्रथम 50 स्थान पर आये हुये अभ्यार्थियों के आवेदनों में उल्लेखित अनुभव का मूल्यांकन छटनी समिति द्वारा किया जावेगा। अनुभव के मूल्यांकन हेतु अधिकतम अंक निम्नानुसार होंगें:–
अनुभव हेतु प्राप्त अंकों की गणना:–

खण्ड समन्वयक/संकुल समन्वयक

प्रासंगिक अनुभव	06 माह–05 वर्ष	05–07 वर्ष	07–10 वर्ष	10–13 वर्ष	13 वर्ष से अधिक
	60	70	80	90	100

उम्मीदवारों की शैक्षणिक अहर्ता में प्राप्त प्रतिशत का 50 प्रतिशत तथा अनुभव में छटनी समिति द्वारा अनुभव के 100 अंकों पर किये गये मूल्यांकन का 50 प्रतिशत के योग के आधार पर वरीयता क्रम की गणना की जावेगी। अभ्यर्थियों को आगामी चरण के लिये पात्रता हेतु 50 अंक कटऑफ होगा।

शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव पर दिये गये अंक के आधार पर तैयार वरीयता क्रम सिर्फ आगे की प्रक्रिया में शामिल होने के लिए हैं । आवेदनों में उल्लेखित विषय विशेष, अनुभवों का मूल्यांकन/छटनी समिति के द्वारा किया जाएगा। शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव पर दिये गये अंक के आधार पर तैयार वरीयता क्रम का मूल्यांकन करते हुए, प्रत्येक पद के विरूद्ध प्रथम 10 उम्मीदवारों को दस्तावेजों का सत्यापन, समूह चर्चा एवं साक्षात्कार के लिए बुलाया जावेगा।

उपरोक्तानुसार दस्तावेजी योग्यताओं यथा शैक्षणिक योग्यता तथा अनुभव आदि के प्रस्तुत अभिप्रमाणित प्रमाण पत्रों के अंक निर्धारण उपरांत बनायी गयी, मेरिट सूची के आधार पर जिला स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) द्वारा उम्मीद्वार की चयन सूची तैयार की जावेगी। जिसका प्रकाशन कार्यालयीन सूचना पटल/वेबसाईट पर किया जाएगा, चयन सूची के संबंध में दावा आपत्ति आमंत्रित किया जावेगा। निर्धारित समय–सीमा में प्राप्त दावा आपत्ति के नियमानुसार निराकरण के उपरान्त निराकृत अन्तिम चयन सूची का कार्यालय सूचना पटल/वेबसाईट/स्थानीय समाचार पत्रों पर प्रकाशन किया जाकर नियुक्ति आदेश जारी किया जावेगा।

1. यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक विषयों में स्नातकोत्तर अथवा अन्य डिग्रियां प्रस्तुत की जाती है तो संबंधित विषय में अधिकतम अंक वाली डिग्री में प्राप्तांकों को मूल्यांकन के लिए शामिल किया जाएगा।
2. समूह चर्चा एवं साक्षात्कार के अंक र्निधारण जिला स्तर पर 4 सदस्यीय चयन समिति/पैनल का गठन कर किया जावेगा। जिसके अध्यक्ष मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत एवं कलेक्टर एवं अध्यक्ष महोदय जी के प्रतिनिधि, प्रभारी अधिकारी/सहायक प्रभारी अधिकारी स्थापना शाखा/लेखाधिकारी व कार्यपालन अभियंता, आर.ई. एस.(विषय विशेषज्ञ) सदस्य होगें।
3. समूह चर्चा एवं साक्षात्कार के अंतर्गत अभ्यर्थी का संबंधित क्षेत्र में कार्यानुभव तथा ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करने की इच्छाशक्ति के आंकलन पर विशेष ध्यान रखते हुए किया जायेगा। अभ्यार्थियों को समूह चर्चा में 40 अंक एवं व्यक्तिगत साक्षात्कार में 60 अंक दिये जाएंगे। जो निम्नानुसार बिन्दूओं पर आधारित होगें:–
   अ. समूहों को सहज व नेतृत्व करने की क्षमता, समस्याओं को ठीक कर कार्य करने की क्षमता, निर्णय लेने की क्षमता, समुदाय को सम्बोधित करने की क्षमता एवं ऑनलाईन/एम.आई.एस. में दक्षता।
   ब. कार्य क्षेत्र में पकड़, प्लानींग नियमानुसार विकास कार्य करने की क्षमता, क्षेत्र विशेष के संबंध में जानकारी एवं पहचान बनाना, लक्ष्य को लेकर कार्य करने की क्षमता, प्रासंगिक अनुभव सह गुणवत्ता एवं स्थायित्व को लेकर कार्य करने की क्षमता, सकारात्मक व्यहार और व्यक्तित्व विकास के कार्य में सक्षम।
4. प्रत्येक पद के विरूद्ध मेरिट क्रम से 10 उम्मीदवारों को समूह चर्चा एवं साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जावेगा। विषयवस्तु के संबंध में आवेदकों को पृथक से अवगत कराया जावेगा।
5. भर्ती प्रक्रिया से संबंधीत नियम, शैक्षणिक योग्यता, अनुभव एवं समूह चर्चा एवं साक्षात्कार की विषयवस्तु सह अंक निर्धारण के विस्तृत जानकारी www.surguja.nic.in एवं www.cgstate.gov.in में देखा जा सकता है।
6. पदों की पूर्ति करने/रिक्त रखने/नया सृजित करने (बढ़ाने)/समाप्त करने (घटानें) अथवा सम्पूर्ण विज्ञापन निरस्त करने का अधिकार जिला स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)/राज्य शासन के पास सुरक्षित रखा गया है।
7. आरक्षण का लाभ सिर्फ छत्तीसगढ़ के मूल निवासी को ही प्राप्त होगा। यदि कोई भूतलक्षी प्रभाव से आदेश/निर्देश जारी होते है तो उसका अनुपालन भी किया जावेगा।
8. निर्धारित आवेदन पत्र प्रारूप (परिशिष्ट–1) में ही आवेदन स्वीकार योग्य होगें। त्रुटिपुर्ण प्रारूप में अथवा निर्धारित प्रारूप में अपूर्ण या अस्पष्ट आवेदन पत्र स्वमेय निरस्त किये जाने योग्य होंगे, तत्सम्बन्ध में आवेदक को कोई सूचना नही दी जावेगी। चयन के किसी भी स्तर पर या सेवा के दौरान भी आवेदन की अर्हता संबंधी कोई अयोग्यता ज्ञात होती है तो चयन/नियुक्ति निरस्त किये जाने का अधिकार नियोक्ता अर्थात जिला स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के पास सुरक्षित रहेगा, जो कि आवेदक पर बंधनकारी होगा।
9. आवेदकों द्वारा प्रस्तुत स्वच्छता के क्षेत्र में कार्यानुभव संबंधित प्रमाण पत्र के तारतम्य में आवेदकों को यह स्पष्ट हो कि स्वच्छता/स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रस्तुत अनुभव प्रमाण पत्र, स्वच्छता/स्वास्थ्य क्षेत्र के वरिष्ठ अधिकारीयों यथा कार्यपालन अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी/मुख्य चिकित्सा अधिकारी/मुख्य कार्यपालिका अधिकारी, जिला पंचायत या उससे उच्च स्तर के अधिकारी के द्वारा जारी/प्रतिहस्ताक्षरित प्रमाण पत्र को ही मान्य किया जावेगा। गैर शासकीय संस्था के अधीन किए गए सेवा/कार्य के अनुभव का प्रमाण पत्र उस शासकीय विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित होने पर ही मान्य किया जावेगा, जिस शासकीय विभाग के कार्य क्षेत्र में गैर शासकीय संस्था द्वारा कार्य किया गया है। साथ ही अंतराष्ट्रीय संस्था यूनिसेफ व वाटर ऐड द्वारा जारी प्रमाण पत्र को भी मान्य किया जावेगा। डिग्री व अनुभव प्रमाण पत्रों के वैधता की मान्यता के संबंध में जिला स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम और बंधनकारी होगा।
10. आवेदकों को यह अवगत कराया जाता है कि राज्य के किसी विशेष क्षेत्र/जिलों में यथा बस्तर एवं सरगुजा संभाग में विज्ञापन में उल्लेखित किसी पद/पदों हेतु निर्धारित न्यूनतम अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता तथा अनुभव वाले योग्य आवेदक नहीं मिलते हैं, तो उस क्षेत्र/जिले विशेष के लिए आवश्यक अनिवार्य न्यूनतम योग्यता में कलेक्टर एवं

अध्यक्ष महोदय, जिला स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), प्रबंधन समिति से शिथिलता की अनुमति प्राप्त कर, उपलब्ध आवेदन पत्रों में से ही मेरिट तैयार करते हुए चयन किये जाने का विशेषाधिकार जिला स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के पास सुरक्षित रहेगा।

11. सभी नियुक्तियॉ 12 माह की अवधि हेतु अनुबंध पर संविदा पर होगी। संविदा अवधि कार्य संतोषप्रद व आवश्यकता होने पर आगामी 12 माह हेतु बढ़ाया जा सकेगा।

12. खण्ड व संकुल समन्वयक को माह में न्यूनतम 20 दिन का भ्रमण अनिवार्य होगा। खण्ड व संकुल समन्वयक को जिले से बाहर की यात्रा हेतु वास्तविक बस/रेल का किराया नियमानुसार देय होगा।

13. ये पद शासकीय नही है, पुर्णतः अस्थायी व संविदा आधारित है तथा स्थान विशेष मे सेवा के पद है अर्थात् जिले के बाहर स्थानान्तरण योग्य नहीं है।

14. वर्ष के दौरान 18 दिनों के आकस्मिक अवकाश व 03 दिनों के ऐच्छिक अवकाश की पात्रता संविदा नियमानुसार होगी।

15. खण्ड व संकुल समन्वयक द्वारा सेवा वर्ष में किये गये कार्यों/सेवाओं का गोपनीय प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप (मूल्यांकन प्रपत्र) में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत द्वारा लिखा जावेगा। सदस्य सचिव जिला स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) द्वारा आवेदकों के संविदा अवधि के विस्तार/नवीनीकरण किये जाने पर निर्णय लेते हुए, प्राप्त गोपनिय प्रतिवेदन कलेक्टर एवं अध्यक्ष महोदय की ओर प्रेषित किया जावेगा।

16. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को सेवा समाप्ति पश्चात् संविदा नियुक्ति शासकीय सेवक के रूप में जितनी अवधी तक सेवा दी गई है उस अवधी के लिए किसी भी प्रकार के पेंशन, उपादान या मृत्यु लाभ आदि की पात्रता नहीं होंगी।

17. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने अथवा वरिष्ठ अधिकारी/कार्यालय द्वारा दिये गये निर्देशों की अवहेल्ना किये जाने की स्थिति में नियुक्त संविदाकर्मी को 1 माह की सूचना देते हुए कार्य से पृथक कर दिया जावेगा।

18. संविदा पदों की नियुक्त छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 से शासित होगें।

25/1

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं सदस्य सचिव
जिला स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)
सरगुजा

परिशिष्ट – 1

आवेदन पत्र का प्रारूप

स्व. प्रमाणित पासपोर्ट आकार का फोटो चस्पा करें।

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं सदस्य सचिव
जिला स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)
जिला पंचायत–सरगुजा (छ.ग.)
पिन नं0 – 497001

1. आवेदित पद का नाम – ....
2. जिला – ....
3. आवेदक, छत्तीसगढ़ प्रदेश के किस जिले का स्थायी निवासी है– जिला ....
(समर्थन में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी निवास प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें।)
4. आवेदक का नाम :– (हिन्दी में) – ....
अंगेजी में (केपिटल अक्षरों में) – ....
5. लिंग (महिला / पुरूष) – ....
6. क्या आवेदक शासन द्वारा मान्य अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /

अन्य पिछड़ा वर्ग के सदस्य हैं, यदि हां तो – ....

(समर्थन में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण
पत्र की अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें)

7. पिता / पति का नाम – ....
8. जन्म तिथि– अंक में – – ....
शब्दों में – – ....
9. दिनांक 01.01.2019 को आयु वर्ष .... माह...................... दिन..............................
10. स्थायी पता – – ....
– ....
– ....
11. वर्तमान डाक का पता – – ....
– ....
– ....

मोबाईल नम्बर ....

ई–मेल आईडी ....

12. शैक्षणिक योग्यता (अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें) :–

क्र.	शैक्षणिक अर्हता	डिग्री / सिर्टीफिकेट का नाम	बोर्ड / विश्वविद्यालय का नाम	उत्तीर्ण करने का वर्ष	प्राप्तांक	पूर्णांक	प्रतिशत
01	10 वीं						
02	12 वीं						
03	स्नातक						
04	स्नातकोत्तर						
05	कम्प्यूटर योग्यता						
06	अन्य						
07	अन्य						
08	अन्य						
09	अन्य						
10	अन्य						

13. अन्य गैर शैक्षणिक (राष्ट्रीय सेवा सहभागिता) योग्यता (अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें) :–..........................
(जैसे – एन.एस.एस. / राज्यपाल गाईड आदि में सहभागिता)

14. अन्य गैर शैक्षणिक (पाठ्येत्तर गतिविधि सहभागिता) योग्यता (अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें) :–...............
(जैसे राष्ट्रीय / राज्य स्तरीय खेलकूद , सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि में सहभागिता)

15. शासकीय / गैर शासकीय संस्था में कार्य करने का अनुभव वर्षों में (भर्ती हेतु नियम,शर्तें एवं चयन प्रकिया के शर्त क्रमांक 09 में उल्लेखानुसार जारी / प्रतिहस्ताक्षरित अनुभव की अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें)–

क्र.	नियोक्ता का नाम, पदनाम व पता	धारित पद	अवधि		मानदेय / वेतन	संपादित कार्यों / दायित्वों का विवरण	विशेष रिमार्क
			कब से	कब तक			

16. उपरोक्त अनुभव में से लोक स्वास्थ्य/स्वच्छता के क्षेत्र में कार्य का अनुभव वर्षों में (भर्ती हेतु नियम, शर्तें क्रमांक 9 में उल्लेखानुसार जारी/प्रतिहस्ताक्षरित अनुभव की अभिप्रमाणि छायाप्रति संलग्न करें) –

क्र.	नियोक्ता का नाम, पदनाम व पता	धारित पद	अवधि		मानदेय/वेतन	संपादित कार्यों/दायित्वों का विवरण	विशेष रिमार्क
			कब से	कब तक			

17. क्या आवेदक भूतपूर्व सैनिक है ? – हां/नहीं

(यदि हां तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें) – ....

18. क्या अभ्यार्थियों के विरूद्व कोई दाण्डिक प्रकरण किसी पुलिस थाना/न्यायालय में लंबित हैं न्यायालय में निराकृत हो चुका हैं ? (यदि हां तो संबंधित अधिनियम एवं धारा सहित प्रकरण क्रमांक एवं निर्णय आदि की जानकारी स्पष्ट रूप से उल्लेख करें।)

अपराधिक प्रकरण क्रमांक/वर्ष ....
पुलिस थाना .... जिला ....
अधिनियम एवं धारा ....
प्रकरण की वर्तमान स्थिति – ....
....
....

19. संलग्नको की सूची – 1. .... 2. ....
3. .... 4. ....
5. .... 6. ....
7. .... 8. ....

प्रार्थी के हस्ताक्षर

नाम ....
पिता का नाम ....

स्थान ....
दिनांक ....

// घोषणा–पत्र //

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि इस आवेदन पत्र में दिए गए समस्त विवरण तथा संलग्न अभिलेख मेरी अधिकतम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सत्य, सही ओर पूर्ण हैं, जो कि कभी भी यदि असत्य पाए जाते हैं तो भर्ती संबंधी मेरे सभी दावे समाप्त हो जायेंगे और मेरी उम्मीद्वारी/नियुक्ति किसी भी स्तर पर निरस्त किये जाने योग्य होगी तथा मेरे विरूद्व वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी, नियुक्ति/सेवा के किसी भी स्तर पर नियोक्ता का निर्णय मुझ पर बंधनकारी होगा।

प्रार्थी के हस्ताक्षर

नाम ....

दिनांक ....

स्थान ....

नोट :– आवेदक प्रत्येक पृष्ठ के अंतिम में दायी ओर अपने हस्ताक्षर अवश्य करें।